भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 873
07 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ

विषय:- ग्रामीण कृषि बाजार

873. श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का किसानों की जरूरतों और मांगों के अनुसार ग्रामीण कृषि बाजारों में सुधार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा अपनी उपरोक्त कार्य योजना के अनुसरण में ग्रामीण कृषि बाजार के अंतर्गत कितनी मंडियां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है;

(घ) महाराष्ट्र में उपरोक्त लक्ष्य के अनुसरण में कुल स्थापित मंडियों का निर्वाचन क्षेत्र/जिले-वार ब्यौरा और संख्या कितनी है; और

(ङ) कुल स्थापित मंडियों में से कितनी मंडियां बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण हैं और कितनी मंडियां बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ङ): कृषि विपणन राज्य का विषय है और राज्य, किसानों की मांगों और आवश्यकताओं के आधार पर, ग्रामीण कृषि मंडियों सहित कृषि मंडियों का विकास करते हैं। तथापि, केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई घोषणा के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत ग्रामीण हाटों / ग्रामीण कृषि बाजारों में भौतिक अवसंरचना को मजबूत कर रहा है; जबकि कृषि एवं

किसान कल्याण विभाग ने विपणन और खेत स्तर का मूल्य वर्धन अवसंरचना के विकास के लिए "एग्री-मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एएमआईएफ)" नामक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत, पंचायतों को संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से 3% ब्याज छूट प्रदान की जानी थी। मांग आधारित होने के कारण, महाराष्ट्र सहित राज्यों ने उक्त योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव/डीपीआर प्रस्तुत नहीं किया।

****